न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
पोहरी जिला शिवपुरी म0प्र0

17.10.2022

श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय, अवकाश पर होने से प्रकरण मेरे समक्ष पेश।

राज्य द्वारा ए.डी.पी.ओ. उपस्थित।

आवेदक सबजेल पोहरी में निरूद्ध।

आवेदक की ओर से श्री एच.सी.वर्मा अधिवक्ता उपस्थित।

प्रकरण केस डायरी प्रस्तुति हेतु नियत है।

थाना पोहरी से केस डायरी प्राप्त।

आवेदन सी.आई.एस. में पंजीबद्ध किया जाए।

इस आदेश द्वारा आवेदक के आवेदन अंतर्गत धारा 437 द. प्र.सं.1973 दिनांक 14.10.2022 का निराकरण किया जा रहा है।

आवेदन इस आशय का है कि पुलिस थाना पोहरी ने प्रार्थी के विरूद्ध गलत आधारों पर प्रकरण पंजीबद्ध कर निरोध में ले लिया है, प्रार्थी वर्तमान में सबजेल पोहरी में निरूद्ध है। प्रार्थी का उक्त अपराध से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध नहीं है। प्रार्थी पूर्व से ही अपंगता के कारण अस्वस्थ्य रहता है एवं निरोध में रहने से उसे अत्यधिक पीड़ा होने की संभावना है। प्रार्थी का उक्त अपराध आजीवन कारावास या मृत्यु दण्ड से दण्डनीय नहीं है। जमानत पर रिहा होने के पश्चात् प्रार्थी के भागकर जाने या फरार

Scanned with CamScanner

होने की कोई संभावना नहीं है। अतः उसे जमानत पर छोडे जाने का निवेदन किया है।

उभयपक्ष को सुना गया ।

केस डायरी का अवलोकन किया गया।

केस डायरी के अवलोकन से विदित होता है कि पुलिस थाना पोहरी द्वारा दिनांक 02.09.2022 को फरियादी दौलतराम की सूचना पर अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध अपराध कमांक **197/2022** अंतर्गत धारा 379 भा.दं.सं. 1860 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। अभियुक्त को दिनांक 12.10.2022 को गिरफ्तार कर न्यायलय के समक्ष पेश किया गया। उक्त दिनांक से ही अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में सब जेल पोहरी में निरूद्ध है। उक्त अपराध मृत्यु दंड या आजीवन कारावास या सात वर्ष के कारावास से अधिक अवधि से दंडनीय नही है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत **<u>अर्नेश कुमार वि0 बिहार राज्य 2014 (8) एससीसी 273, तथा जरीना बेगम विरूद्ध म.प्र. राज्य एम0सी0आर0सी0 नम्बर–30933/2020 आदेश दिनांक 13.05.2021 अवलोकनीय है–</u>** मृत्युदंड, आजीवन कारावास या सात वर्ष से अनधिक अवधि के कारावास से दंडनीय अपराधों में अभियुक्त का जमानत का लाभ दिया जाना चाहिए। अतः उक्त न्याय दृष्टांत के आलोक मे अभियुक्त का जमानत आवेदन स्वीकार कर आदेशित किया जाता है कि यदि अभियुक्त की ओर से इस न्यायालय की संतुष्टि योग्य **50,000/–(पचास हजार)रूपये** की सक्षम प्रतिभूति एवं बंधपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया जावे कि वह अभियोजन साक्षीगण को प्रभावित, प्रताड़ित या प्रलोभित नहीं करेगा, विचारण के दौरान प्रत्येक पेशी पर न्यायालय में उपस्थित होता रहेगा तो उसे प्रतिभूति पर स्वतंत्र किया जावे।

केस डायरी वापस की जाकर पावती ली जावे।

प्रकरण जमानत प्रस्तुति हेतु कुछ समय पश्चात् पेश हो।

12.10.22

Scanned with CamScanner